08

संख्या– 1050 /XV-2/01(05)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग– 02

देहरादून, दिनांक 1 अगस्त, 2011:

विषय :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (एस0सी0एस0पी0) हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, डेरी के पत्र संख्या 878–79/लेखा–प्रस्ताव आयो0 एसपीएसपी/2011–12, दिनांक 19–08–2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–979/XV-2/01(05)/2006, दिनांक 26 जुलाई, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (एस0सी0एस0पी0) योजना हेतु जनपद बागेश्वर को ₹ 0.53 लाख (₹ तरेपन हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त जनपद को निर्गत स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखत नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति उपलब्ध कराई जायेगी।
5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नही रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

2/–

6. निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाये एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) की अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त की जा रही धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यो पर तथा 20 प्रतिशत नये निर्माण कार्यो पर व्यय की जाये।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोगनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–02 –अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0291–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–3–2011 द्वारा निर्गत निर्देशो के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या : 1050 /XV-2/01(05)2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।